Sub Registry Office,Danapur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं0 739

RTPS No.:-
03011823002300750

श्रीमान/श्रीमती PRABHA SINHA & OTHERS ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित सम्पत्तियों और अन्तरणों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सम्पत्तियों और अन्तरणों के बारे में बही - 1 में उपलब्ध निबंधित अनुक्रमणिका में तारीख 01/01/2009 से तारीख 01/02/2023 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न सम्पत्तियों और अन्तरणों का पता चला है:-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं0	खाता	खेसरा रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	अन्य
1	DANAPUR	DANAPUR	SIKANDARPUR 17	69	101	31/72 DECIMAL	0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुक्रमणिका सम्पत्तियों और अन्तरणों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाला कोई दिवानी मुकदमा और अदालत का स्टे नहीं पाया है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम :-Ramanand Prasad
Cleark

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम :-Md. Janbair Alam
Cleark

कार्यालय :- Sub Registry Office, Danapur तारीख :- 01/02/2023

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
01/02/23

टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो सत्यापन और अवलोकन दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत सर्वमति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित सम्पत्तियाँ (दुष्प्रभाव) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-52 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हों तो उनको जो उनका प्रतिनिधित्व करते हों तो अथवा किन्हीं विशिष्ट सम्पत्तियों के अन्तरणों के प्रमाण पत्रों की उपलब्ध हो उन्हें तलाशी करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेगी।

3. किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित सत्यता अपने सरकारी तलाशी से की है। जिस भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4. और चूँकि दर्शाया मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूंढे गये ऐसे सम्पत्तियों और अन्तरणों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा रजिस्टरी द्वारा सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ेगा।

पत्रांक – 739 दिनांक – 01/02/2023

शुल्क प्रमाण AXIS BANK के पत्र दिनांक 01/02/2023 के अधीन में प्राप्त।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
01/02/23